क्रमांक- 42

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 (चैत्र 13, 1940)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.110-परसवाड़ा से निर्वाचित सदस्य, श्री मधु भगत को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 01.04.2018, जो इस सचिवालय में दिनांक 02.04.2018 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

" मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107, 116 (3) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री मधु भगत को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी कर लिया जाय.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री मधु भगत को दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को 16.15 बजे बंदी कर तहसीलदार बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं उन्हें 17.30 बजे मुचलके पर रिहा कर दिया गया है. "

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.